



2026:AHC-LKO:20657

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

अनुच्छेद 227 के तहत प्रकरण संख्या - 835/2026

राम निवास

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर लखीमपुर खीरी और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	राघव राम उपाध्याय, शैलेश कुमार सिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. आर. उपाध्याय और प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
3. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता से छूट दी जाती है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), लखीमपुर खीरी के न्यायालय के समक्ष निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद दायर किया था, जिसे वाद संख्या 1105/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया था। मुकदमे की कार्यवाही के साथ-साथ, याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक प्रार्थना पत्र भी दायर किया। शुरू में, आदेश दिनांकित 15.2.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ता के पक्ष में एक एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जिसमें पक्षों को ग्राम राम नगर कलां, परगना भूड़, जिला लखीमपुर खीरी में स्थित भूमि गाटा संख्या 993/1937 क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, निजी प्रतिवादियों द्वारा आपत्तियां दायर की गईं और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अंतरिम राहत के लिए दायर प्रार्थना पत्र को अंततः दिनांक 28.5.2025 को खारिज करते हुए निस्तारित कर दिया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को, जो आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत प्रस्तुत किया गया था, अस्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि प्रार्थी तथा निजी प्रतिवादियों, दोनों को ही गाटा संख्या 993 पर पट्टा प्रदान किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि उक्त गाटा संख्या 993 एक बड़ा गाटा था, जो याचिकाकर्ता के साथ-साथ निजी प्रतिवादियों के नाम पर दर्ज है। इसके अतिरिक्त, यह भी संज्ञान में आया कि राजस्व अधिकारियों ने पट्टे पर दी गई भूमि का कब्ज़ा निजी प्रतिवादियों के पक्ष में सौंप दिया है, और निजी प्रतिवादियों के इशारे पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि प्रतिवादियों ने यह आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ताओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ज़मीन को गलत तरीके से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया है और तदनुसार, उपरोक्त परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय का यह मत था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के आधार नहीं बनते हैं एवं तदनुसार, प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

5. आदेश दिनांकित 28.5.2025 से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के समक्ष एक अपील दायर की है, जिसे विविध सिविल अपील संख्या 33/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया। अपीलीय कार्यवाही से पूर्व, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अभिलेख पर याचिकाकर्ता के पक्ष में कतिपय राजस्व रिपोर्टें मौजूद हैं, जिनसे यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि विवादित संपत्ति का कब्ज़ा याचिकाकर्ता के पास है एवं तदनुसार, विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 28.05.2025 की वैधता को चुनौती दी गई थी। विद्वान ज़िला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विधिवत विचार किया और पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में, विशेष रूप से उसके कब्ज़े के संबंध में, गंभीर विसंगति है, ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों रिपोर्टों की सीमाएँ आपस में मेल नहीं खातीं। तदनुसार, उनका यह मत था कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या विवादित संपत्ति का कब्ज़ा वास्तव में याचिकाकर्ता के पास है। अतः, उन्हें विचारण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

न्यायालय के आदेश दिनांकित 28.5.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और अपीलीय कोर्ट के समक्ष उठाए गए अपने आधारों को दोहराया है और जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.5.2025 एवं आदेश दिनांकित 15.10.2025 की वैधता को चुनौती दी।

7. विरोधी पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, यह पाया गया है कि निषेधाज्ञा के लिए वाद याचिकाकर्ता के साथ-साथ निजी प्रतिवादियों द्वारा भी दायर किया गया था। दोनों पक्षों ने दावा किया है कि उन्हें एक ही गाटा, यानी 993, पर पट्टा प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नदी का रास्ता बदलने के कारण उसका घर नष्ट हो गया और वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगा और इसी दौरान, निजी प्रतिवादी ने विवादित संपत्ति पर अपना कब्ज़ा होने का दावा किया है। नीचे की दोनों अदालतों ने इन तथ्यों पर विचार किया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजस्व अभिलेख में ज़मीन निजी प्रतिवादियों के नाम पर दर्ज है और विभिन्न राजस्व रिपोर्टों से विशेष रूप से विवादित ज़मीन पर अपने कब्ज़े के दावे को साबित करने के लिए निजी प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज़ पेपर 41ग से तथा उपरोक्त परिस्थितियों में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर, इस स्तर पर किसी भी पक्ष के कब्ज़े के संबंध में कोई भी निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त भूमि की अवस्थिति में अंतर है तथा उसकी चौहद्दी (सीमाओं) में भी भिन्नता है। उपर्युक्त सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वास्तव में विवादित संपत्ति याचिकाकर्ता के कब्ज़े में है अथवा नहीं।

8. उपर्युक्त के अलावा, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदु जिन पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के तहत उसके प्रार्थना पत्र पर प्रारंभिक चरण में ही विरोध किया जा रहा है वही मुद्दे हैं अथवा ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई वाद की कार्यवाही में किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को प्राप्त सीमित अधिकार-क्षेत्र यह देखने तक सीमित है कि क्या विवादित आदेश अभिलेख

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत पारित किया गया है, क्या वह विकृत है अथवा क्या उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

9. उपर्युक्त परिस्थितियों में, न्यायालय ने समस्त सामग्री की जाँच करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाई है। भूमि की अवस्थिति और उसके कब्जे से जुड़ा मुद्दा एक गंभीर विवादित सवाल है, जिसका फैसला विचारण के दौरान किया जाएगा और निश्चित रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के चरण में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर इसका फैसला नहीं किया जा सकता।

10. हमें आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। यह याचिका गुणहीन है और तदनुसार इसे **खारिज** किया जाता है।

11. यदि याचिकाकर्ता कार्यवाही में तेज़ी लाना चाहता है, तो उसे स्वतंत्रता दी जाती है कि वह उचित विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे जिस पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

23 मार्च, 2026

जे. के. दिनकर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"